दैनिक भास्कर पेज 1
2-2-14

फूड सेफ्टी।

बिना लाइसेंस वाले कुक से बना खाना बेचा तो होगी जेल

निमेष खाखरिया, अहमदाबाद

मंगलवार से बिना लाइसेंस वाले कुक से बना खाना बेचने पर जेल की हवा खानी पड़ सकती है। खाद्य पदार्थों की बिक्र-वितरण संबंधी नया फूड सैफ्टी एंड स्टैन्डर्ड एक्ट-2011 के तहत रजिस्ट्रेशन की 4 फरवरी अंतिम तिथि है। इसी दिन से होटल, विवाह-समारोह, मीटिंग और ऑफिस पार्टी का भोजन भी उक्त दायरे में आ जाएगा। पूजा स्थलों का प्रसाद भी। कानून का उल्लंघन करने पर छह महीने की जेल अथवा पांच लाख रुपए के अर्थदंड का प्रावधान है।

मिलावट या खराब खाना बेचने वाले कारोबारी अब तक कानूनी दायरे से इसलिए बचते रहे, क्योंकि इसके लिए लाइसेंस जैसी कोई व्यवस्था ही नहीं थी। नए कानून के तहत खाद्य पदार्थ के अलावा, प्रोसेसिंग, पैकिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, आयात एवं खाद्य पदार्थ के परिवहन से जुड़े लोगों के लिए भी पंजीकरण अनिवार्य है। ठेला-आदि लगाने वालों को भी सौ रुपए का शुल्क देकर पंजीकरण करवाना होगा। द कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के सचिव प्रवीण खंडेलवाल कहते हैं कि इस कानून को क्रियान्वित करने वाले प्रशासन को असीमित अधिकार दिए गए हैं। नए नियम में प्रावधान है कि कोई भी खाद्य पदार्थ तैयार करने में उसमें डाली गई सामग्री भी मान्यता प्राप्त होनी चाहिए।

आज समाज पेज 1
2.2.14

एफडीआई पर मंत्री के रुख की आलोचना

नई दिल्ली। राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा पूर्ववर्ती सरकार द्वारा रिटेल व्यापार में एफडीआई को दी गई अनुमति को वापिस लेने पर व्यापारियों के शीर्ष संगठन कांफेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने इसे देश के व्यापारियों के हित में एक सही कदम बताते हुए केंद्रीय वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा के उस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है जिसमें उन्होंने ने कहा है की राज्य सरकारों को पूर्ववर्ती साकार के इस निर्णय को वापिस लेने का अधिकार नहीं हैं। कैट ने कहा कि शर्मा का यह बयान गिरगिट के रंग बदलने की तरह है और बेहद निंदनीय है। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया और राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने कहा की रिटेल में एफडीआई लागू करने के समय यही आनंद शर्मा थे जिन्होंने बयान दिया था की रिटेल में एफडीआई लागू करना या न करना राज्यों का अधिकार है और वही शर्मा राज्य सरकारों के अधिकार पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने ने कहा की रिटेल में एफडीआई केवल सरकारी आधिकारिक आदेश से लागू किया जा सकता है और सरकारी नियमों के अनुसार किसी भी आधिकारिक आदेश को जारी करने वाली सरकार या उसके स्थान पर आने वाली कोई भी सरकार कभी भी वापिस ले सकती है या निर्णय को पलट सकती है।